

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

28 SEP 1970
17/9/70

सं० 146] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 1970/भाद्र 10, 1892
No. 146] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 1970/BHADRA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September 1970

No. F.1(5)-NS/69.—The Central Government hereby directs that the commission payable to Authorised Agents under the Standardised Agency System and the Authorised Agents (Bank) Scheme on the sale through them of 7 year National Savings Certificates (II Issue), 7-Year National Savings Certificates (III Issue) and 7-Year National Savings Certificates (IV Issue), 7-Year National Savings Certificates (II Issue) Bank Series, 7-Year National Saving Certificates (III Issue) Bank Series, 7-Year National Savings Certificates (IV Issue) Bank Series, 15-Year Annuity Certificates and on investments secured by them in Post Office Fixed Deposits, Post Office Time Deposits of 3 and 5 years and Government Fixed Deposits accepted at branches of the State Bank of India and its subsidiary banks shall be as under:

- (i) 1½ per cent for agents working in urban areas; and
- (ii) 2¼ per cent for agents working in rural areas.

Note:—The question whether an agent works in a rural area or in an urban area for the purpose of determining the rate of commission to which he will be entitled shall be decided by the appointing authority of the particular agent in question and the decision of the appointing authority in this regard shall be final.

Agents who, for the purposes of their agreements, are attached to a Post Office, or a Branch of the State Bank of India or any of its subsidiary Banks, which is located in a town or village having a population of 5,000 and less shall be considered to be agents working in rural areas for the purposes of this Notification.

2. These rates will be payable on certificates sold or deposits secured on or after 1st September, 1970.

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(ग्रथं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1970

सं० एफ० 1(5)—एन० एस०/69.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि मानकीकृत अभिकरण प्रणाली और प्राधिकृत I, (बैंक अभिकर्ता योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत अभिकर्ताओं को उनके द्वारा बेचे गए 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों (निर्गम II), 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों निर्गम-II 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों (निर्गम-IV), 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों (निर्गम—II) बैंक क्रम, 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों (निर्गम—III) (बैंक, 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों (निर्गम—IV) बैंक क्रम, 15-वर्षीय वार्षिकी-पत्रों (निर्गम) की बिक्री के सम्बन्ध में तथा उनके प्रयत्नों से डाकघर स्थिर जमा खातों और 3 व 5-वर्षीय जमा खातों में किए गए निवेशों पर और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों की शाखाओं द्वारा सरकारी स्थिर खातों में स्वीकार की जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में इन दरों पर कमीशन देय होगा :—

- (i) शहरी क्षेत्र में काम करने वाले अभिकर्ताओं को $1\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से; और
- (ii) देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले अभिकर्ताओं को $2\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से।

टिप्पणी : किसी अभिकर्ता के कमीशन की दर का, जिसका वह हकदार होगा, निर्धारण करने के प्रयोजन से इस प्रश्न का निर्णय—कि क्या वह अभिकर्ता देहाती क्षेत्र में काम करता है अथवा शहरी क्षेत्र में—उस अभिकर्ता-विशेष की नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। वे अभिकर्ता जो अपने कार्यों के प्रयोजन से किसी ऐसे डाकघर अथवा भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी सहायक बैंक की किसी ऐसी शाखा से मेलन हैं जो 5,000 या उससे कम जनसंख्या वाले नगर या गांव में स्थित है, इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले अभिकर्ता समझे जायेंगे।

2. ये दरें, 1 सितम्बर, 1970 को या उसके बाद बेचे गये बचत-पत्रों अथवा जमा के लिए प्राप्त की गयी रकमों पर देय होंगी।

बी० मैथ्रेयन्, संयुक्त सचिव।